विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

फा.सं 20/6/राष्ट्रपति/2021/एल.ए.एस–VII/विधायी/10384 दिनांक: 12.07.2022

सेवा में,

माननीय सदस्य,
दिल्ली विधान सभा,
दिल्ली।

विषयः– राष्ट्रपतीय निर्वाचन–2022 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना।

महोदय/महोदया,

मुझे आपकी जानकारी हेतु सोमवार, 18 जुलाई 2022 को होने वाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन–2022 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचना की प्रति भेजने का निर्देश हुआ है जोकि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में मतदान के दौरान सहायक होगी।

भवदीय,

संलग्नः (04 पृष्ठ हिन्दी व अंग्रेजी)

(सी. वेलमुरुगन)
सहायक निर्वाचन अधिकारी/संयुक्त सचिव
(विधान सभा)

भारत निर्वाचन आयोग

राष्ट्रपतीय निर्वाचन - 2022

(महत्वपूर्ण सूचना)

- कृपया मतदान स्थल के अंदर मोबाइल/कैमरा न ले जाएं।
- कृपया मतदान स्थल के अंदर प्रवेश करते समय अपना पहचान-पत्र साथ रखें।
- कृपया मत-पत्र पर अपना अधिमान पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए पेन से ही चिह्नित करें।
- कृपया अन्य किसी पेन का प्रयोग न करें, यह आपके मतपत्र को अवैध कर सकता है।
- कृपया अपनी पसंद के अभ्यर्थी के सामने 'अधिमान के क्रम' वाले कॉलम में केवल अंकों में वरीयता दें, अर्थात 1,2,3 आदि और वरीयता शब्दों में एक, दो, तीन आदि इंगित नहीं किया जाएगा।
- अंक जैसे 1,2,3 आदि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में, या रोमन रूप I, II , III, आदि में, या संविधान के आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किए जा सकते हैं।
- कृपया अपने अधिमान को इंगित करने के लिए 'सही (✓)' या 'क्रॉस (×)' का चिह्न न लगाएं।
- कृपया ध्यान रखें कि मतपत्र पर '✓' का चिन्ह या क्रॉस '×' का चिन्ह लगाने से आपका मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा।
- कृपया मतपत्र पर अपना नाम/अपने हस्ताक्षर/या अन्य कोई शब्द न लिखें।
- कृपया अपने मतपत्र को खराब न करें।
- कृपया नोट करें कि यदि आपको जारी मतपत्र फट जाता है या विकृत हो जाता है तो हो सकता है आपको कोई नया मतपत्र जारी न किया जाए।
- कृपया मतपत्र को मतदान स्थल के बाहर न ले जाएं।
- कृपया किसी भी हालत में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना सुनिश्चित करें।
- कृपया शांति और शिष्टाचार बनाए रखें।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

PRESIDENTIAL ELECTION - 2022

(IMPORTANT INFORMATION)

- Please don't carry mobile/camera inside the place of poll.
- Please carry your identity card at the time of entering inside the place of poll.
- Please mark your preference on the ballot paper only with the pen provided by the Presiding Officer or Officer authorized by the Presiding Officer.
- Please don't use any other pen; it may invalidate your ballot paper.
- Please put preference in figures only, i.e. 1,2,3, e.t.c., in the column 'Order of preference' against the candidate of your choice and shall not be indicated in words, one, two, three, etc.
- Figures may be marked in the international form of Indian numerals like 1,2,3, etc., or in the Roman form I, II, III, etc., or in the form used in any Indian Language, recognized in the Eighth Schedule to the Constitution.
- Please do not put 'tick (√)' mark or 'cross (X)' mark to indicate your preference.
- Please notice that putting '√' mark or cross 'X' mark on ballot paper will result in rejection of your ballot paper.
- Please do not write your name/your signature/or any other words on the ballot paper.
- Please do not deface your ballot paper.
- Please note that in case the ballot paper issued to you gets torn or mutilated, no new ballot paper may be issued to you.
- Please do not take ballot paper outside the place of Poll.
- Please ensure that secrecy of voting is maintained at any cost.
- Please maintain peace and decorum.

भारत निर्वाचन आयोग

राष्ट्रपतीय निर्वाचन - 2022

(महत्वपूर्ण सूचना)

राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान हेतु जाने वाले निर्वाचकों के लिए

✓ कृपया मतपत्र पर अधिमान, पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए निर्वाचन आयोग के पेन से ही चिह्नित करें।

✓ मतदान स्थान को छोड़ने से पहले, कृपया अपना मत डालने के बाद उक्त पेन को उस अधिकारी को वापस कर दें जिसने इसे आपको दिया था।

✗ कृपया मतपत्र पर अधिमान, पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए पेन के अतिरिक्त किसी और पेन से चिह्नित न करें।

✗ मतपत्र पर किसी और पेन से अधिमान चिह्नित करने पर मतपत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

PRESIDENTIAL ELECTION - 2022

(IMPORTANT INFORMATION)

For Electors Going to Cast Vote for the Presidential Election:

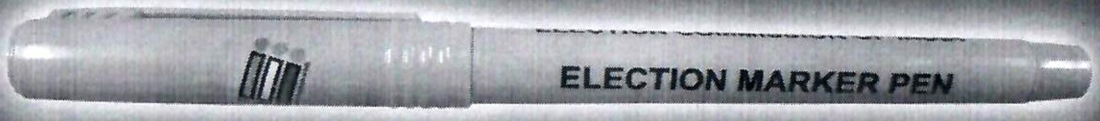

✓ Please Mark the preferences on the Ballot Paper only with the pen of the Election Commission specially provided by the Presiding Officer/Officer authorised by the Presiding Officer.

✓ Before leaving place of poll, please return the said pen after casting of your vote to the Officer who gave it to you.

✗ Please do not mark the Preference on Ballot Paper with any pen other than the pen provided by the Presiding Officer/ the Officer appointed by the Presiding Officer.

✗ Marking the preference on the Ballot Paper with any other pen would lead to rejection of the Ballot Paper.